

A-III  
95

राज्य प्रमुख कार्यालय  
नृसुख शिक्षा विभाग  
अधिसूचना

संख्या ७७७, धीरान - ६६३००६

प्रति सं १३-११/३०-३/२००३ धीरान, तिरुवांथूर -  
प्रति.

साधु,  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा विभाग,  
प्रति शिक्षा, नई दिल्ली।

विषय :- असाक्षीय प्रवृत्ति निवारण रिश्तरम्बु कॉलोनी तुरार, न्यायिणर  
को ती.वी.स.ई. ले सम्बन्धित हेतु सं.डी.डी. ले वाक्य ।  
०० ०० ००

राज्य शासन द्वारा असाक्षीय प्रवृत्ति निवारण रिश्तरम्बु कॉलोनी  
तुरार न्यायिणर को ती.वी.स.ई. नई दिल्ली ले सम्बन्धित हेतु असाक्षीय प्रवृत्ति  
निराकरण के लिए निम्नलिखित कार्य कर दिया जाता है :-

1. शिक्षा को अपनी कार्य शक्ति में एक प्रविष्टि के रूप में प्रोत्साहित करने के लिए  
को अपने को या उनके प्रविष्टि को प्रोत्साहित करना होगा तथा उनके  
प्रविष्टि के रूप में माध्यमिक शिक्षा कायदा के धारा ११(१) की  
या उनके प्रविष्टि को प्रोत्साहित करना होगा ।
2. नीतिगत निर्णयों में इन धाराओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करना  
होगा ।
3. असाक्षीय शासन द्वारा शिक्षा प्रसार-प्रकार के लिए निम्नलिखित निर्णयों में  
परि ध्यान ले लिये जायेंगे की असाक्षीय को वासी है जो ऐसे कार्य को  
संस्था को करना होगा ।
4. केन्द्रीय न्यायिणरियों में यदि संस्था पाठ्य को सम्बन्धित रूप कर लया  
है, वहन्तु संस्था न होने पर भी यदि असाक्षीय शासन, नृसुख शिक्षा विभाग  
को उनके शिक्षा के परिणर या अन्य की आवश्यकता पड़ती है तो यह  
असाक्षीय कराना होगा ।

निर्णय ३ पर.....

*Ramesh*  
सचिव  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा विभाग  
तिरुवांथूर (का.)

5. राष्ट्रीय कार्यवाही को अंतिम करने के लिए यदि शेषता या अल्पता या त्रुटि की शिकायतों की आवश्यकता होती तो उन्हें अंतिम कराना होगा।

सदस्योपदेशक  
राज्यपाल के कार्यालय के नाम से  
ज्या अतिरिक्त

हस्ताक्षर

[ कृष्ण कान्त शर्मा ]

उपपर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, प्रमुख विद्या विभाग

बोधाल, विनाई - 271061 (M.P.)

सूचना सं. 73-71/20-1/2003

प्रति, विधि :-

1. उपपर सचिव, मध्य प्रदेश, बोधाल।
2. विद्या विद्या अधिकारी, विद्या विभाग, मध्य प्रदेश
3. प्राचार्य, अका. प्रमुख विद्यापीठ विद्यापीठ कॉलोनी, मुबारकपुर, विभाग, जो अंतर सुझाव एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अतिरिक्त है।

M. S. Sharma  
उपपर सचिव 27/01/23

मध्य प्रदेश शासन, प्रमुख विद्या विभाग

R. S. Swasth  
सचिव

राज्यपाल के कार्यालय के नाम से  
विद्यार्थी कल्याण विभाग (मध्य प्रदेश)